



केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन  
Central Government Employees  
Welfare Housing Organisation  
(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India)  
(An ISO 9001:2015 Organisation)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,  
जनपथ, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष : 23739722 / 23717249 / 23355408  
फैक्स : 23717250

6th floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,  
Janpath, New Delhi-110001  
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408  
Fax : 23717250  
E-mail : cgewho@nic.in

संख्या : ए-107/5

दिनांक: 10/02/2017

सेवा में,

ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना के सभी आवंटियों को।

विषय: परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन :: सदस्यता के चुनाव के लिए आवेदन।

महोदय/ महोदया,

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ.) की सामान्य निकाय और संचालन परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए एक परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन किया जाएगा। परियोजना निगरानी समिति (PMC) की "संदर्भ की शर्तें" निम्नानुसार होंगी।

- (क) प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना में, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन किया जाएगा।
- (ख) इस समिति में दो प्रतिनिधि संचालन परिषद से होंगे (जैसे कानून मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) (उप सचिव स्तर के पद से नीचे के अधिकारी नहीं) तथा परियोजना से पाँच आवंटी सदस्य होंगे।
- (ग) संचालन परिषद के सदस्य सचिव, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. हैं, परियोजना निगरानी समिति (PMC) के अध्यक्ष होंगे।
- (घ) सभी आवंटी अपना नामांकन प्रस्तुत करने व परियोजना निगरानी समिति (PMC) के सदस्य के रूप में निर्वाचित हाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (ङ) परियोजना निगरानी समिति (PMC) छ: महीनों में एक बार मिलेगी तथा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।
- (च) संचालन परिषद के प्रतिनिधि (मंत्रालय के अधिकारी) के टीए/डीए का खर्चा, संबंधित मंत्रालयों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि संबंधित मंत्रालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो इसका भुगतान सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा संबंधित परियोजना के खाते से किया जाएगा। सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. के अधिकारियों/कर्मचारियों व परियोजना निगरानी समिति (PMC) के आवंटी सदस्यों के टीए/डीए के खर्चों, का भुगतान सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा संबंधित परियोजना के खाते से किया जाएगा। सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. परियोजना निगरानी समिति के सदस्यों के रहने या वाहन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अज्ञान

